

पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड
विभाग द्वारा प्रस्तावित (वर्ष 2017-18 की) प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में सूचना-

(धनराशि लाख में)

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आरूट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आरूटपुट		समय सीमा	प्रोजेक्टेड आरूटकम		समय सीमा	
		राजस्व	पूँजी गत	राजस्व	पूँजीगत		राजस्व	पूँजीगत		
निदेशन तथा प्रशासन	कर्मिकों के वेतन, भत्ते तथा कार्यालयों संचालन हेतु सहायता	6954.54	-	-	-	-	-	-	-	
राज्य सैक्टर										
निर्वाचित प्रतिनिधियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण (राजस्व)	त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा	25.00	-	लगभग 3900 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जायेगा (तीन दिवसीय प्रशिक्षण)	-	मार्च, 2018	प्रतिनिधि अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्षम हो सकेंगे।	-	मार्च, 2018	
महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण (राजस्व)	त्रिस्तरीय पंचायतों के महिला प्रतिनिधियों को क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा	25.00	-	लगभग 4000 महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जायेगा (तीन दिवसीय प्रशिक्षण)	-	मार्च, 2018	प्रतिनिधि अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्षम हो सकेंगे।	-	मार्च, 2018	
क्षेत्र पंचायत विकास निधि (राजस्व)	क्षेत्र पंचायतों की प्राथमिकता के आधार पर विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्य	0.03	-	-	-	-	-	-	-	
पिछड़ा क्षेत्र विकास विभाग	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	0.01	-	-	-	-	-	-	-	
केन्द्र सैक्टर										
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं में प्रशिक्षणों के माध्यम से समग्र विकास	0.01	-	-	-	-	-	-	-	
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	शत-प्रतिशत केन्द्रपोषित इस योजना में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता बंद कर दी गयी है।	50.01	-	-	-	-	-	-	-	